

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email-secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/20/3028

दिनांक : 18.03.2020

आदेश


राजस्थान राज्य की 6 नवगठित नगर निगमों (जयपुर हैरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण) के आम चुनाव कराने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 12.03.2020 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।

आयोग द्वारा घोषित उक्त कार्यक्रम को राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए स्थगित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा D.B. Civil Misc. Application No. 50/2020 एवं 8 अन्य याचिकाएं प्रस्तुत की गईं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं याचिकाएं अपने निर्णय दिनांक 18.03.2020 द्वारा निस्तारित की गई हैं।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18.03.2020 की पालना में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 6 नवगठित नगर निगमों (जयपुर हैरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण) के आम चुनाव हेतु जारी कार्यक्रम दिनांक 12.03.2020 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

आज्ञा से,




(श्याम सिंह राजपुराहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक :

क्रमांक: एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/20/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्तानुसार संबंधित अधीनस्थ चुनाव प्रधिकारियों को सूचित करने का श्रम करें।



(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव